

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ
जनहित याचिका संख्या – 50/2026

सरोज कुमार लोधी

...याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, लखनऊ

एवं 4 अन्य

... प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता: – अजय कुमार श्रीवास्तव, राजेश कुमार लोधी

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता :- मुख्य स्थायी अधिवक्ता, दिलीप कुमार पाण्डेय

न्यायालय संख्या – 17

माननीय न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी

आईए- शून्य/ 2026 पर आदेश:

1. वाद सुना गया।
2. यह रिट याचिका में संशोधन के लिए एक आवेदन है ताकि याचिकाकर्ता के विवरण को सही किया जा सके।
3. वांछित संशोधन औपचारिक प्रकृति का है।
4. विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आवेदन का विरोध नहीं किया गया है।
5. तदनुसार, आवेदन स्वीकार किया जाता है। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को निर्देश दिया जाता है कि वे याचिका के ज्ञापन में आवश्यक सुधार को तत्काल सम्मिलित करें।

याचिका ज्ञापन पर आदेश:

6. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अजय कुमार श्रीवास्तव, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री पंकज श्रीवास्तव, एवं विपक्षी संख्या 4-गाँव सभा की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री दिलीप कुमार पाण्डेय को सुना गया।

7. जनहित में दायर इस याचिका द्वारा याचिकाकर्ता ने विपक्षी संख्या 5 द्वारा चकरोड पर किए गए अतिक्रमण के विरुद्ध उचित कार्रवाई करने और लखनऊ जनपद की तहसील बख्शी का तालाब के ग्राम बाजपुर गंगोरा में स्थित चकरोड गाटा संख्या 328 के पुनर्निर्माण का निर्देश जारी करने की मांग की है।

8. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह कथन प्रस्तुत किया है कि विपक्षी संख्या 5 ने इसके एक भाग पर फसल बोनो के द्वारा अतिक्रमण किया है।

9. उपजिलाधिकारी, बख्शी का तालाब, लखनऊ द्वारा प्रदान किए गए लिखित निर्देशों के आधार पर, विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने न्यायालय को सूचित किया है कि तहसीलदार, बख्शी का तालाब, लखनऊ द्वारा खंड विकास अधिकारी, बख्शी का तालाब, लखनऊ को दिनांक 20.01.2026 को चकरोड के निर्माण हेतु एक पत्र जारी किया गया है। निर्देशों को अभिलेख में दर्ज किया जाता है।

10. तदनुसार, खंड विकास अधिकारी, बख्शी का तालाब, लखनऊ को यह निर्देश जारी करते हुए इस याचिका का निस्तारण किया जाता है कि वे तत्परतापूर्वक, प्रश्रुत चकरोड के निर्माण के लिए तहसीलदार, बख्शी का तालाब, लखनऊ द्वारा भेजे गए दिनांक 20.01.2026 के पत्र के अनुपालन में, विधि के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें।

9 फरवरी, 2026

राम

(न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी)